उत्तराखण्ड शासन वित्त (साठनि०—वे0आठ)अनुभाग—7 संख्या— / XXVII(7)02/2010 देहरादून: दिनांक: अक्टूबर, 2017 कार्यालय ज्ञाप

Government of Uttarakhand
Finance (G.R-P.C.) Section-7
No /XXVII(7)02/2010
Dehradun: Dated: October, 2017
Office Memorandum

विषय:

राज्य सरकार के अपुनरीक्षित पेंशन प्राप्त करने वाले सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति।

उपर्युक्त विषय पर अघोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उपमोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु वित्त (वे0आ0—सा0नि0) अनुमाग—7 के शासनादेश सं0—193/XXVII(7)02/2010 दिनांक 11 अक्टूबर, 2017 द्वारा अपुनरीक्षित पेंशन पर 264% की पूर्व दरों को अतिकमित करते हुए दिनांक 01 जुलाई, 2017 से पेंशन पर 268% की दर से महंगाई राहत पुनरीक्षित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

- 2. मंहगाई राहत की ऐसी धनराशि जिसमें एक रूपये का कोई अंश निहित हो, उसे अगले रूपये में पूर्णांकित कर दिया जायेगा।
- 3. यह आदेश मा० उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों पर लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।
- 4. यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/ पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।
- 5. शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या—ए—1—252 / दस / 10(3)—81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के मुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः स्वीकृत मंहगाई राहत का भुगतान उक्त कार्यालय ज्ञाप के अधीन कर दिया जाय।
- 6. मंहगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इस से पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

Subject: Grant of Dearness Relief to State Government Pre-revised Civil /Family Pensioners.

The Undersigned is directed to say that to compensate the rise in the Consumer Price Index the Governor is pleased to revise the Dearness Relief rates for pensioners w.e.f. 01-07-2017 @ 268% for unrevised pension superseding the earlier rates of 264% for unrevised pension as sanctioned vide this Office G.O. No. 193/XXVII(7)02/2010 dated 11 October, 2017.

- 2. Payment of dearness relief involving a fraction of a rupce shall be rounded of to next higher rupee.
- 3. These orders will not be applicable to the judges of High Court, Chairman and Members of Uttarakhand Public Service Commission, Civil/Family Pensioners of local bodies and Public Undertaking Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective.
- 4. These order will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from State under the Education/Technical Education Department whose Pension/Family Pension is at per with the pensioners of the State Government.
- 5. As per orders issued in Om No-A-1-252/X/10(3)-81, dated April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under, this O.M.
- 6. Others terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier government orders shall remain applicable as usual.

(राधा रतूड़ी) प्रमुख सचिव।

(Radha Raturi)
Princiapl Secretary.

Contd...2

## संख्या-269 / XXVII (7)02/2010, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 2. प्रमुख सचिव/सचिव, सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग/शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय/उपक्रम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए निकाय/उपक्रम के कार्मिकों को महंगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में स्वयं निर्णय ले सकते हैं तथा इस सम्बन्ध में वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।
- 3. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड ।
- 5. महालेखाकार, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इस की प्रतियाँ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहराद्न।
- 7. निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
- समस्तमुख्य / वरिष्ठं कोषाधिकारी / कोषाधिकारी उत्तराखण्ड ।
- 9. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 100 प्रतियाँ मुद्रित करा कर वित्त अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 10. निदेशक, एन०आई०सी०, देहरादून।

## No269/XXVII(7)02/2010, above dated.

Copy forwarded to following for information and necessary action:-

- All Additional Chief Secretary/ Principal Secretaries/Secretaries/Secretary Incharge, Govt. of Uttarakhand.
- Additional Chief Secretary/Secretary, Pubic Industry Development Department/Urban Development, Govt. of Uttarakhandwith the request that the admissibility of D.A. may be permitted itself in the view of financial status of the bodies/sector and there is no need of finance Department Consent.
- All Commissioner/District Magistrate, Uttarakhand.
- 4. All Head of Department /Offices, Uttarakhand.
- Accountant General Uttrakhand, Oberoy Building Majra, Dehradun along with 50 extra copies with the request that account officers of other states be also informed please.
- Director, Treasury, Pension and Hukdari, Utatrakhand.
- Director, Departmental Accounts, 23 Laxmi Road, Dalanwala, Dehradun Uttarakhand.
- All Chief/Senior Treasury Officers/ Treasury Officers, Uttarakhand.
- Deputy Director, Govt. Press, Roorkee with request that 100 copies of this G.O. be got printed and sent to the Finance Section-7, Govt. of Uttarakhand please.
- 10. Director, NIC Dehradun.



